कार्यालय जिला पदाधिकारी, रोहतास
05 NOV 2012

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

पत्रांक–4प / ग्रा0–1–232 / 2008 / 6472 / पं0रा0. पटना, दिनांक 05-11-2012

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक–सह–संयुक्त सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

विषयः– बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 में प्रावधानित ग्राम रक्षा दल संगठन एवं दल पतियों द्वारा किये जा रहे कार्यों के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार ग्राम रक्षा दल (संगठन, कर्त्तव्य एवं व्यवहार) नियमावली–2004 के नियम 3 (1) के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के अर्हता प्राप्त सभी व्यक्ति विहित रीति से चयनित सभी क्षेत्र पदाधिकारी एवं दलपति को मिलाकर ग्राम रक्षा दल गठित किया जाना है। उक्त नियमावली के नियम 3 (2) के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत के 18 से 30 वर्ष के बीच सभी योग्य व्यक्ति ग्राम रक्षा दल के सदस्य होते है एवं नियम 3(3) के प्रावधानानुसार यह ग्राम पंचायत के अधीन एक स्वयंसेवी संगठन के रूप में कार्य करेगा एवं दल के सभी सदस्यों, क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं दलपति की कार्यावधि पाँच वर्षो की होगी। नियम संख्या–4 में दल के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के लिए अर्हता संबंधी प्रावधान किये गये है। नियम संख्या–6 एवं 7 में क्रमशः क्षेत्र पदाधिकारी एवं दलपति के चयन संबंधी प्रावधान किये गये है।

बिहार ग्राम रक्षा दल (संगठन, कर्त्तव्य एवं व्यवहार) नियमावली, 2004 के नियम संख्या–5 में किये गये प्रावधानानुसार विहित रूप से अर्हता प्राप्त ग्राम रक्षा दल के सदस्यों की सूची एक पंजी में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा ग्राम पंचायत के अनुमोदन से विहित प्रपत्र–1 में तैयार किया जाना है एवं नियम सं0–6 के उप नियम (2) के प्रावधानानुसार क्षेत्र पदाधिकारियों की एक सूची ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा संधारित की जानी है।

बिहार ग्राम रक्षा दल (संगठन, कर्त्तव्य एवं व्यवहार) नियमावली–2004 के नियम सं0–8 के उप नियम (1) (क) एवं (ख) (2) एवं (3) में क्रमशः ग्राम रक्षा दल के सदस्यों का कर्त्तव्य, क्षेत्र पदाधिकारी का कर्त्तव्य एवं दलपति का कर्त्तव्य संबंधी प्रावधान किये गये हैं। उक्त नियमों में किये गये प्रावधानों के आलोक में ग्राम रक्षा दल के प्रत्येक सदस्य का कर्त्तव्य, ग्राम पंचायत के भीतर लोक शांति एवं प्रशांति बनाये रखने में सहयोग देना, ग्राम पंचायत के निवासियों के बीच आत्म निर्भरता और अनुशासन की प्रवृत्ति जागृत करना तथा नागरिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना है। साथ ही, ग्राम रक्षा दल के सदस्यों द्वारा सामान्य पहरा तथा निगरानी करना, आकस्मिक घटनाओं जैसे दुर्भिक्ष, भूकम्प, बाढ़ या पुल के टूटने, महामारी के फैलने, चोरी, डकैती आदि का यथा स्थिति सामना करना या सामना करने में पंचायतों की मदद करना, लोक विधि एवं व्यवस्था बनाये रखना, अपराध की रोक–थाम एवं नियत्रण करना, जान–माल का संरक्षण करना, इत्यादि से संबंधित कर्त्तव्यों का पालन करना है।

ग्राम रक्षा दल के दलपतियों को दल के सदस्यों एवं क्षेत्र पदाधिकारियों को सौंपे गये कर्त्तव्यों के संबंध में निदेश देना, नियंत्रण करना एवं पर्यवेक्षण करना तथा सरकार / ग्राम पंचायत द्वारा यथावांछित सूचनाओं का संकलन एवं प्रेषण करना इत्यादि से संबंधित कर्त्तव्यों का पालन करना है।

बिहार ग्राम रक्षा दल (संगठन, कर्त्तव्य एवं व्यवहार), नियमावली–2004 के नियम सं०–1[illegible] प्रावधानानुसार ग्राम रक्षा दल से संबंधित सभी व्यय का वहन ग्राम पंचायत की निधि से किया जाना है।

अतः उपर्युक्त उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में ग्राम रक्षा दल के चयनित दलपतियों की भूमिका एवं उपयोगिता के संदर्भ में जाँच कर इस बिन्दु पर प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय कि वे अपने कार्यों को करने में कितना सक्रिय एवं गतिशील हैं तथा वे अपने [illegible]दायित्वों का निर्वहन कर पा रहे है अथवा नहीं।

यथा वांछित प्रतिवेदन अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाय जिससे की दलपतियों द्वारा किये गये कर्त्तव्यों के निर्वहन की वास्तविक स्थिति का पता चल सके ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय। साथ, ही संलग्न प्रपत्र में भी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/- 2/11/12

संयुक्त निदेशक–सह–संयुक्त सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

2-11-12

ज्ञापांकः–4प / ग्रा0–1–232 / 2008 / 6472 / पं०रा०, पटना, दिनांक 05-11-2012

प्रतिलिपिः– सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद / सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 2/11/12

संयुक्त निदेशक–सह–संयुक्त सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

2-11-12

<u>विहित प्रपत्र</u>

क्रमांक	प्रखंड / ग्राम पंचायत का नाम	दलपति एवं उनके पिता का नाम	पंचायत कार्यकारिणी द्वारा चयन की तिथि	जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा सम्पुष्टि की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

D/Manoj2012/Section-2/MiscLetter

P.T.O.